भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एनसीडी–1

विषयः– अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में फोटोग्राफर पद हेतु प्रारूप भर्ती नियम संबंधी जनसूचनां।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/61/2008 स्था. (आार आर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में फोटोग्राफर पद हेतु प्रारूप भर्ती नियम सर्वसाधारण के सूचनार्थ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति /टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, जनसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदन अपने सुझाव अवर सचिव (डी.एस.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा नं. 430 'सी' विंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली. 110108 को लिखित रूप में या इस ई–मेल पते s.dharminder@nic.in पर भेज सकते है।

(धर्मेन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नंत्र 011–2306 2666

[भारत के राजपत्र, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्‍ वास्‍ थ्‍ य एवं परिवार कल्‍ याण मंत्रालय

नई दिल्‍ ली, तारीख 2019

अधिसूचना

सा.का.नि. .... (अ) राष्‍ ट्रपति, संविधान के अनुच्‍ छेद 309 के परन्‍ तुक द्वारा प्रदत्‍ त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय भौतिकीय चिकित्‍ सा एवं पुनर्वास संस्‍ थान, मुंबई (फोटोग्राफर) भर्ती नियम, 1988 को, जहां तक उनका संबंध अखिल भारतीय भौतिकीय चिकित्‍ सा एवं पुनर्वास संस्‍ थान, मुंबई में फोटोग्राफर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्‍ हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्‍ वास्‍ थ्‍ य एवं परिवार कल्‍ याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिकीय चिकित्‍ सा एवं पुनर्वास संस्‍ थान में फोटोग्राफर पद पर भर्ती की पद्ति का विनियमन करने के लिए निम्‍ नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्‍ त नाम और प्रांरभ :** (1) इन नियमों को स्‍ वास्‍ थ्‍ य एवं परिवार कल्‍ याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिकीय चिकित्‍ सा एवं पुनर्वास संस्‍ थान, मुंबई फोटोग्राफर समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2019 कहा जायेगा।

   (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोग - ये नियम इन नियमों के साथ संलग्‍ न अनुसूची के स्‍ तम्‍ भ (1) के पदों पर लागू होंगे।
3. पदों की संख्‍ या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान- उक्‍ त पदों की संख्‍ या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्‍ तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्‍ ट है।
4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि - उक्‍ त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्‍ य बातें वे होंगी जो उक्‍ त अनुसूची के स्‍ तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्‍ ट हैं।
5. निरर्हता - वह व्‍ यक्ति -

   (1) जिसने ऐसे व्‍ यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्‍ नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है।

   (2) जिसने अपने पति या अपनी पत्‍ नी के जीवित रहते हुए किसी व्‍ यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्‍ त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्‍ यक्ति और विवाह के अन्‍ य पक्षकार को लागू ब्‍ यौरा विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्‍ य आधार हैं तो वह किसी व्‍ यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश यक या समीचनी है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन् हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के ट यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **ट यावृति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन् य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन् य विशेष प्रवर्ग के ट यक्तियों के लिए उपबंध करन अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक स में स तर	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
फोटोग्राफर	01* (एक) 2019 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	लेवल - 5	लागू नहीं	18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेश या आदेश के अनुसार पांच वर्ष तक शिथिलनीय)	अर्हताएं : 1. हायर सेकेण डरी स कूल प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष। 2. किसी मान यता प्राप त संस थान से फोटोग्राफी में डिप लोमा पाठ्यक्रम या समकक्ष। 3. अभ्यर्थी के चयन हेतु कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन नत व यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।

A-12018/37/2016-MH-II/NCD-I/3079885
Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
NCD-I

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 4th February, 2021

Public Notice on draft recruitment Rules for the post of 'Photographer' in All Indian Institute of Physical Medicine and Rehabilitation (AIIPMR), Mumbai.

In compliance with DoPT's OM No. AB-14017/61/2008-Estt (RR) dated 13.10.2015, draft Recruitment Rules for the post of **'Photographer'** in All Indian Institute of Physical Medicine and Rehabilitation (AIIPMR), Mumbai is annexed.

The stakeholders, interested in making any objection/comments or suggestions on the draft Recruitment Rules may do so in writing, within a period of 30 days from the publication of draft Recruitment Rules to Under Secretary (DS), Room No. 430, C-Wing, Ministry of Health and Family Welfare, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi-110108 or at email address: s.dharminder@nic.in

(Dharminder Singh)
Under Secretary to the Govt. Of India
Tel. No. 2306 2666

New Delhi, the 2019

Notification

G.S.R. – In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay (Photographer), Recruitment Rules, 1988, in so far as it relates to the post of Photographer, in the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Photographer in the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai.

1. Short title and commencement. – (i) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Physical Medicine, Mumbai, Photographer, Group 'C' Post, Recruitment, Rules 2019

(ii)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application-These rule shall apply to the posts in Column (1) of the Schedule annexed to these rules

3. Number of posts, classification, pay band, grade pay and pay scale. – The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualification, etc. – The method of recruitment age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. – No person, -

a. Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or
b. Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes. Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of the post	Classification	Level in the Pay Matrix
1	2	3	4
Photographer	1* (One) 2019 *subject to variation dependent on work-load	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Level 5

Whether selection post or non-selection post	Age limit for Direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
5	6	7
Not applicable	Between 18 years and 25 years (Relaxable for Government Servant upto 5 years in accordance with the instruction or order issued by the Central Government.	Essential Qualifications: 1. Higher Secondary School certificate or equivalent. 2. Diploma course in Photography from a recognized Institute or equivalent. 3 Skill test will be held for selection of the candidate.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
8	9	10
Not applicable	Two year	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption level from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition?	Circumstances under which UPSC is to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	Departmental Confirmation Committee for Group 'C' 1. Addl. Director -Chairman 2. Deputy Director (Rehab) -Member 3. Concerned HOD -Member	Not applicable

No.A.11018/37/2016-MH.II

(Dharminder Singh)
Under Secretary to the Government of India

प्रोन्‍नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्‍नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्‍नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्‍थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति: 1. अपर निदेशक, - अध्‍यक्ष 2. उप निदेशक (पुनर्वास), - सदस्‍य 3. संबंधित विभागाध्‍यक्ष - सदस्‍य	लागू नहीं

[सं.ए.11018/37/2016-एमएच-II]

अवर सचिव, भारत सरकार